भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1937

उत्तर देने की तारीखः 11.03.2025

पीएम-दक्ष योजना

1937. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम दक्ष योजना के-आरंभ से लेकर अब तक कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की तमिलनाडु राज्य सहित राज्यवार और वर्षवार कुल संख्या कितनी है; है;

(ख) पीएमदक्ष योजना के अंतर्गत तमिलनाडु सहित राज्यवार और वर्षवार कुल कितनी निधि - निधि आवंटित और संवितरित की गई है;

(ग) ओबीसी, एससी, एसटी समुदायों तक पहुंच बढ़ाने और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का तमिलनाडु सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) पीएमदक्ष योजना तमिलनाडु और अन्य राज्यों में उभरते कौशलों को शामिल करने के - के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को किस प्रकार अनुकूल बना रही है; और

(ङ) स्थानीय रोजगार बाजारों में इन कौशलों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): योजना के आरंभ से पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने करने वाले लाभार्थियों की तमिलनाडु सहित राज्यवार और वर्षवार कुल संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ख): पीएम-दक्ष योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, डीएनटी और कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों को सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। चूंकि पीएम-दक्ष योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए इसके कार्यान्वयन में राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए इस योजना के तहत राज्यवार धन आवंटित और और वितरित नहीं किया जाता है।

(ग): लक्ष्य समूह के बीच पीएम-दक्ष योजना को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय आधार आधार पर प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन जारी किए जाते हैं। प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जागरूकता शिविरों का आयोजन करके, क्लस्टर/समुदायों तक पहुंचकर और और योजना के बारे में जागरूकता फैलाकर लक्ष्य समूह के बीच जागरूकता फैलाते हैं।

(घ): पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो क्षेत्र में लक्षित समूहों के बीच विशिष्ट नौकरी भूमिका को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के एसआईडीएच पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी नौकरी भूमिका में प्रशिक्षण दे सकते हैं।

(ङ): पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य लक्षित समूह को वेतन रोजगार और स्व-रोजगार प्रदान करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाता है और प्रमाणित प्रशिक्षुओं को वेतन रोजगार या स्व-रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

लोक सभा में उत्तर के लिए नियत "पीएम-दक्ष योजना" अतारांकित प्रश्न संख्या 1937 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएम- दक्ष के अंतर्गत राज्य वार प्रशिक्षुओं का विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र	2020- 21	2021- 22	2022- 23	2023-24
		प्रशिक्षित	प्रशिक्षित	प्रशिक्षित	प्रशिक्षित
1	आंध्र प्रदेश	870	2167	1969	325
2	असम	1183	2070	1357	3633
3	बिहार	2596	3032	2040	2113
4	छत्तीसगढ	694	999	641	593
5	दिल्ली	487	337	327	198
6	गोवा	0	0	125	0
7	गुजरात	1199	1783	910	623
8	हरियाणा	1137	964	1470	1888
9	हिमाचल प्रदेश	319	898	739	885
10	जम्मू और कश्मीर	664	765	1292	1040
11	झारखंड	370	1241	790	1108
12	कर्नाटक	781	1351	790	2094
13	केरल	763	859	353	198
14	लद्दाख	60	50	0	60
15	मध्य प्रदेश	2764	3260	4222	17192
16	महाराष्ट्र	2567	1963	1261	10046
17	मणिपुर	241	516	343	0
18	मेघालय	60	30	140	0
19	ओडिशा	736	1017	1304	1232
20	पुदुचेरी	31	51	0	30
21	पंजाब	1509	2377	2884	2122
22	राजस्थान	1890	1927	1383	7934
23	सिक्किम	160	155	25	25
24	तमिलनाडु	1032	1137	1011	2140
25	तेलंगाना	430	720	866	1055
26	त्रिपुरा	92	509	470	487
27	उत्तर प्रदेश	6659	7798	4167	21304
28	उत्तराखंड	1090	679	512	1247
29	चंडीगढ़	0	0	110	0
30	पश्चिम बंगाल	1713	3347	1520	613
	कुल	**32097**	**42002**	**33021**	**80185**

****